न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 37/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सविता पत्नि सूरजभान जाति जाट निवासी ग्राम सांझपुर तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)

2. बबली पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मौहम्मदपुर तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)

:--- अपीलांटस

बनाम

1 महासिंह
2 करतारसिंह
3 हरिपाल पुत्रान मेहरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
4 मेहरचन्द पुत्र घडसी
5 महावीर पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
6 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर
7 सब रजिस्ट्रार मुण्डावर
8 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाहजहांपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

:------ रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,मुण्डावर दिनांक 12.1.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री गोविंदराम यादव

2. वकील रेस्पो0सं01से5 :– सर्व श्री राजबहादुरसिंह,
अजीत यादव

निर्णय

दिनांक 22.5.2018

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा दावा संख्या 157/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.1.2017 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 242 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 53 एयर में से 38/53 भाग, 294 रकबा 57 एयर , 295 रकबा 39 एयर सालिम व खाता संख्या 274 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 29 एयर का 1/2 भाग वाके ग्राम नांगल उदिया तहसील मुण्डावर विवादित आराजी है । हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 53 एयर साबिक खसरा नम्बर 70 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 73 मिन रकबा 01 बिस्वा से तथा हाल खसरा नम्बर 294 रकबा 57 एयर साबिक खसरा नम्बर 97 मिन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से और हाल खसरा नम्बर 295 रकबा 39 एयर साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा से तथा हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 29 एयर साबिक खसरा नम्बर 202 मिन रकबा 1 बीघा3 बिस्वा से सैटिलमैंट के दौरान कायम किये गये हैं । उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के दादा घडसी के कब्जे काश्त की थी । उनके देहान्त के बाद उक्त आराजी जरिये विरासत प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम दर्ज हो गई । विवादित आराजी दादालाई सम्पत्ति है । इसलिये इसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है । परन्तु कुछ आराजी प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

संख्या 02 के बहकावे में आकर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को बेचान कर दिया और शेष आराजी को भी बेचान करने पर उतारू है । परिवार के सजरे के अनुसार वादीगण का 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा है । अतः निवेदन है कि दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी से वादीगण रेस्पो. का किस प्रकार से सम्बन्ध है, इस बारे में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । विवादित भूमि घडसी की थी और उसके देहान्त के बाद उसके पुत्र रेस्पो0 संख्या 04 मेहरचन्द के नाम विरासत में दर्ज हुई । इसके बाद हम अपीलांट ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है और वक्त खरीद से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है । रेस्पो0 संख्या 4 मेहरचन्द को घडसी की विरासत से विवादित आराजीयात के अलावा अन्य आराजी भी प्राप्त हुई है, जिस आराजी का दान पत्र मेहरचन्द ने रेस्पो0 संख्या 1 ला0 3 की पत्नि, पुत्र व पुत्री के हक में कराया गया है । जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम का अंकन हो रहा है । लेकिन वादीगण रेस्पो0 संख्या 1 ला0 3 ने मात्र हम अपीलांट को विक्रय की गई आराजी के सम्बन्ध में ही हमारी आराजी हडप करने की नियत से वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया । मेहरचन्द की पुत्रियों मेवा व कमली को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया । कानूनन सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाना चाहिये । हमारी प्रोपर तामील नहीं कराई गई। गलत तौर पर हमारी एकपक्षीय की गई है । हमको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विद्वान तहत न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ला0 3 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि दादालाई की भूमि है, जिसमें हमारा 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा जन्म से ही निहित है । परन्तु रेस्पो0 संख्या 04 मेहरचन्द उक्त सालिम आराजी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । दादालाई की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

भूमि में से उसे सिर्फ अपने हिस्से तक का ही स्थानांतरण करने का अधिकार है, सालिम भूमि का नहीं । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 एग्जिविट – 3 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 53 एयर साबिक खसरा नम्बर 70 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 73 मिन रकबा 01 बिस्वा से, हाल खसरा नम्बर 294 रकबा 57 एयर साबिक खसरा नम्बर 97 मिन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से, हाल खसरा नम्बर 295 रकबा 39 एयर साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा से तथा हाल खसरा नम्बर 197 रकबा 29 एयर साबिक खसरा नम्बर 202 मिन रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा से बनना पाये जाते हैं । जमाबन्दी सम्वत 2002 एग्जिविट–4 में विवादित भूमि घडसी की खातेदारी में दर्ज है । घडसी के देहान्त के बाद विरासत इन्तकाल संख्या 140 एग्जिविट–5 के द्वारा उसके पुत्र मेहरचन्द प्रतिवादी संख्या 01 के नाम आराजी दर्ज हुई । हाल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2067 में विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मेहरचन्द के नाम दर्ज है ।

6 उपरोक्त समस्त राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि घडसी, जो कि वादीगण के दादा थे, की कब्जे काश्त खातेदारी की थी और उसके देहान्त के बाद विवादित भूमि उसके पुत्र मेहरचन्द प्रतिवादी संख्या 01, जो कि वादीगण के पिता हैं, को विरासत में प्राप्त हुई । इस प्रकार सिद्ध है कि विवादित भूमि दादालाई की भूमि हैसं, जिसमें प्रस्तुत सजरा के अनुसार वादीगण का 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जन्म से ही बनता है । प्रतिवादी संख्या 01 मेहरचन्द को दादालाई की सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं है । वह केवल अपने हिस्से तक की ही भूमि का बेचान कर सकता है । विवादित भूमि दादालाई की भूमि है, जिसमें वादीगण का जन्म से ही हिस्सा बनता है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.1.2017 यथावत रखे जाते हैं ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 37/2017 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सविता पत्नि सूरजभान जाति जाट निवासी ग्राम सांझपुर तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)

2. बबली पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मौहम्मदपुर तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा)

:––– अपीलांटस

बनाम

1 महासिंह
2 करतारसिंह
3 हरिपाल पुत्रान मेहरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
4 मेहरचन्द पुत्र घडसी
5 महावीर पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
6 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर
7 सब रजिस्ट्रार मुण्डावर
8 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाहजहांपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,मुण्डावर दिनांक 12.1.2017

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री गोविंदराम यादव

2. वकील रेस्पो0सं01से5 :– सर्व श्री राजबहादुरसिंह,

अजीत यादव

पर्चा डिक्री दिनांक 22.5.2018

------ ----------

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.1.2017 यथावत रखे जाते हैं ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner